न्यायालय सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

परिवाद संख्या–122/2017

दीनदयाल सिंह बनाम कुलदीप सिंह

धारा–138 लिखत परक्राम्य अधिनियम

27.07.2023–

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। परिवादी दिनांक 15.09.2022 से प्रस्तुत मामले मे लगातार गैर हाजिर है। पत्रावली अभियुक्तगण की हाजिरी हेतु नियत है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान परिवाद में अभियुक्त को धारा–138 लिखत परक्राम्य अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण समन विचारणीय मामला है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–256 के अनुसार समन विचारणीय मामले में जहां कार्यवाही अभियुक्त की हाजिरी में नियत हो अथवा प्रकरण की कार्यवाही सुनवाई हेतु स्थगित की जा सकती है, वहां परिवादी की अनुपस्थिति में न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकेगा। यह संभव है कि पक्षकारान के मध्य न्यायालय से बाहर सुलह हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली को परिवादी की अनुपस्थिति में लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण में धारा–256 द0प्र0सं0 का प्रावधान आकृष्ट होता है। अतः अभियुक्तगण अध्यारोपित अभियोग से द0प्र0सं0 की धारा–256 के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

:–आदेश–:

अभियुक्त कुलदीप सिंह को भा0द0सं0 की धारा–138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से द0प्र0सं0 की धारा–256 के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफतर की जाए।

(मिक्की सिंह)
सिविल जज जू0डि0/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।